कार्यालय जिला पंचायत दमोह (म0प्र0)

क्रमांक /~~3744~~/एमडीएम/जि.प./2021 7344 दमोह, दिनांक 11-11-2021

!! वाहन अनुबंधित किये जाने हेतु द्वितीय सूचना !!

जिला पंचायत दमोह में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु लक्षित शाससकीय शालाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु एक चार पहिया वाहन **(इनोवा/टी.यू.व्ही./अरटिगा/न्यू बुलेरो)** मय वाहन चालक (2020 अथवा 2020 के बाद का मॉडल) अधिकतम मासिक किराया रूपये 20000/- प्रतिमाह (बीस हजार रूपये मात्र) के अनुबंधित किये जाने हेतु वाहन प्रदाताओं/एजेंसियों से निर्धारित प्रपत्र में सील बंद कोटेशन दिनांक 18/11/2021 के अपरान्ह 4:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष खोले जावेंगे, जिसमें वाहन प्रदाता/एजेंसी उपस्थित रह सकते है।

(अजय श्रीवास्तव)
(I.A.S.)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दमोह

पृ. क्रमांक /~~3745~~/एमडीएम/जि.प./2021 7345 दमोह, दिनांक 11-11-2021

प्रतिलिपिः-

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. दमोह की ओर सजिले की बेवासाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी दमोह।
3. प्रभारी अधिकारी, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जिला पंचायत दमोह की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला पंचायत दमोह की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दमोह

कार्यालय जिला पंचायत दमोह (म0प्र0)

!! वाहन अनुबंधित किये जाने हेतु शर्ते !!

1. जो वाहन मासिक आधार पर लिया जायेगा, उस वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उससे बाद का होना चाहिये। वाहन का रजिस्ट्रेशन होने के साथ–साथ वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और अच्छी चालन की स्थिति में होना चाहिये।

2. वाहन का अधिकतम मासिक किराया राशि रू. 20000/– (बीस हजार रूपये) होगा। वाहन किराये का भुगतान आवश्यक (लॉगबुक) पूर्ति के अनुसार किया जावेगा।

3. वाहन में लगने वाले डीजल की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जावेगी।

4. वाहन 24 घंटे जिला पंचायत दमोह के अधिपत्य में रहेगा। वाहन का उपयोग आवश्यकता अनुसार 24 घंटे किया जा सकता है, तदानुसार वाहन चालक की व्यवस्था, वाहन प्रदाता को करना होगी एवं वाहन चालक का वेतन भत्ता वाहन प्रदाता द्वारा देय होगा।

5. मासिक किराये पर किये जाने वाले वाहन के लिए किराये के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नही किया जावेगा। वाहन का चालक, वाहन की मरम्मत, मैन्टेनेंस तथा वाहन में होने वाला आकस्मिक खर्च वाहन प्रदायकर्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

6. वाहन के संधारण पर होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर, टयूब आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

7. वाहन मरम्मत रखरखाब का व्यय वाहन स्वामी को वहन करना होगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

8. वाहन चालक के वैध डायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। इसके साथ वाहन चालक का व्यवहार अच्छा होना जरूरी है।

9. वाहन की प्रति लीटर डीजल की औसत खपत ए.सी. सहित 10 कि.मी. एवं बगैर ए.सी. सहित 12 कि.मी. से कम नही होना चाहिए, इससे कम होने पर वाहन मालिक पर क्षतिपूर्ति की जबावदारी रहेगी।

10. वाहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अनुबंधित किया जाना है। आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

11. वाहन का इश्योरेंस, रोड टैक्स, टैक्सी परमित, रजिस्ट्रेशन तथा फिटनेश अप–टू–डेट होना चाहिये।

12. किरायें के वाहन के लिए लॉगबुक संधारित करना आवश्यक होगा। वाहन चालक की जिम्मेदारी होगी।

13. किराये पर लगाया गया वाहन खराब होने की दशा में वाहन प्रदाता को अनुबंधित प्रकार का वाहन वैकल्पिक व्यवस्था हेतु तत्काल उपलब्ध कराना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था न करने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

14. वाहन चालक की अनुपस्थिति या अवकाश पर होने की स्थिति में उस अवधि के लिये तत्काल अन्य वाहन चालक की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

15. वाहन प्रदाता के वाहन चालक को बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेन्स इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा।

16. वाहन प्रदाता के द्वारा वाहन की स्वीकृति 07 दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।

17. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा।

18. वाहन प्रदाता को अपने अनुबंध समाप्त कराने हेतु एक माह पूर्व कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उस माह का भुगतान नही किया जावेगा।

19. वाहन की आवश्यकता न होने की स्थिति में बगैर बताये वाहन का अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

20. वाहन का माईलोमीटर चलते रहना आवश्यक है एवं माईलोमीटर की गडबडी या किसी कारण से निर्धारित दूरी अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग द्वारा तय की गई दूरी मान्य की जावेगी।

21. किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च स्वयं वहन करेगा। इस कार्यालय की कोई जबावदेही नही होगी और न ही कार्यालय किसी भी प्रकार का मुआवजा देने हेतु बाध्य होगा।

22. वाहन किराये के संबंध में शासन अथवा जिला पंचायत द्वारा निर्धारित परिवर्तित नियम शर्तो को मानना वाहन प्रदाता को अनिवार्य होगा।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दमोह द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी अधिकारी
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
जिला पंचायत दमोह

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र

1. वाहन मालिक का नाम जिसके नाम से वाहन रजिस्टर्ड है :– ....
2. वाहन मालिक का पूर्ण पता :– ....
3. मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर :– ....
4. वाहन मालिक का पैन नम्बर :– ....
5. वाहन मालिक का बैंक खाता नम्बर, IFSC कोड :– ....
6. वाहन का नाम / कम्पनी :– ....
7. वाहन का मॉडल नम्बर :– ....
8. वाहन का पंजीयन क्रमांक :– ....
9. वाहन का फिटनेशन की अंतिम तिथि :– ....
10. वाहन का फिटनेस की अंतिम तिथि :– ....
11. वाहन की टैक्सी परमिट का प्रकार एवं अंतिम तिथि :– ....
12. वाहन का मासिक किराया (मय वाहन चालक) :– ....

मैंने उपरोक्त प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तें क्रमांक 01 से 22 तक पढ ली है एवं मुझे सभी शर्ते मान्य है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर :– ....
वाहन मालिक का नाम :– ....
वाहन मालिक का पूर्ण पता :– ....
मोबाईल नम्बर :– ....